इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 532 र

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 सितम्बर 2022—आश्विन 7, शक 1944

जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2022

## ''शुद्धिपत्र''

एफ-35-31-2019-M-इकतीस-163.—इस विभाग की दिनांक 30 जून, 2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 349 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-35-31-2019-M-इकतीस-102, के पृष्ठ क्रमांक 698 पर प्ररूप-क में:—

- (1) कोष्ठक, शब्द तथा अंक ''[नियम 3 का उप नियम (2) देखिये]'' के स्थान पर कोष्ठक, शब्द तथा अंक ''[नियम 3 का उप नियम (1) देखिये]'' स्थापित हुआ समझा जाए एवं तद्नुसार पढ़ा जाए.
- (2) कोष्ठक, अंक तथा शब्द, ''नियम 3 के उप-नियम (2) से (6)'' के स्थान पर कोष्ठक, अंक तथा शब्द ''नियम 3 के उप नियम (2) से (10)'' स्थापित हुआ समझा जाए एवं तद्नुसार पढ़ा जाए.

#### "CORRIGENDUM"

F-35-31-2019-M-XXXI-163.—In the Notification of this Department No. F-35-31-2019-M-XXXI-102, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 349 dated 30<sup>th</sup> June, 2022 at the page no. 698 (5) in the FORM-A:—

- (1) for the bracket, words and figures "[See sub-rule (2) of rule 3]" the bracket, words and figures "[See sub-rule (1) of rule 3]" be deemed to have been established and read accordingly.
- (2) for the bracket, figures and words "sub-rule (2) to (6) of rule 3" the bracket, figures and words "sub-rule (2) to (10) of rule 3" be deemed to have been established and read accordingly.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2022

### ''शुद्धिपत्र''

एफ-35-31-2019-M-इकतीस-164.—इस विभाग की दिनांक 30 जून, 2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 349 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-35-31-2019-M-इकतीस-106 में:—

- (1) पृष्ठ क्रमांक 698 (12) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''नियम 9 में, उप-नियम (5)'' के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक ''नियम 9 में, उप-नियम (पांच)'' स्थापित हुआ समझा जाए एवं तद्नुसार पढ़ा जाए.
- (2) पृष्ठ क्रमांक 698 (15) पर प्ररूप-17 के अन्त में स्थान व दिनांक के दाहिनी ओर रिक्त स्थान में पहली पंक्ति में ''हस्ताक्षर'', एवं द्वितीय पंक्ति में हस्ताक्षर के नीचे ''अध्यक्ष, ज. उ. सं.'' स्थापित हुआ समझा जाए एवं तद्नुसार पढ़ा जाए.

#### "CORRIGENDUM"

F-35-31-2019-M-XXXI-164.—In the Notification of this Department No. F-35-31-2019-M-XXXI-106, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 349 dated 30<sup>th</sup> June, 2022 at the page no. 698 (18) for the words, figures and bracket "In rule 9, in sub-rule (5)" the words, figures and bracket "In rule 9, in sub-rule (V)" be deemed to have been established and read accordingly.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. एस. टेकाम, उपसचिव.